डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली इजलास

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गूर्जर, R.A.S.**

प्रकरण सख्याः–185 / 2013 **दायर दिनांकः–15.10.2013**

जीसीएमएस नं. 2013 / 00567

1. स्वरूप चंद पुत्र श्री जयशिव
2. राजकुमारी पत्नि दिनेश चंद

} जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

––––––वादीगण–02

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र श्री धुन्धी आयु 55 साल
2. बहादुर आयु 35 साल
3. बाबू आयु 30 साल
4. बबलू
5. महाराज सिंह
6. रामपति पत्नि रूपसिंह
7. हरदेई पत्नि बहादूर
8. सन्ता पत्नि बाबू
9. शिवदेई पत्नि बबलू

} (2–5) पिसरान रूपसिंह } जाति गुर्जर निवासी तुलसीपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0।

––––––प्रतिवादीगण–09

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 185 / 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने सफल रहा है। उक्त आरजीयात के संबंध में स्थायी निषेधज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नही करे ना हि किसी अन्य से करावे वादीगण को शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करने देवे। इस संबंध में तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हों। वादीगण का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्वीकार किया जाता है। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख [illegible]0.2024 को यह डिकी जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:11 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली